न्यायालय अपर जिला कलक्टर एवं अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ।

पीठासीन अधिकारी :– उम्मेदी लाल मीना आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या 01 / 2024

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ।

प्रार्थी

बनाम

सतीश कुमार पुत्र बनवारीलाल निवासी वार्ड नं0 03 किशनपुरा दिखनादा तह0 हनुमानगढ जिला हनुमानगढ

अप्रार्थी

मुकदमा अन्तर्गत धारा 6 ए ई0सी एक्ट

उपस्थितः– 1 श्री शिवराज सिंह बराड़ राजकीय अधिवक्ता।
2 श्री रामकुमार कस्वां अभिभाषक अप्रार्थी।

—:निर्णयः—

दिनांकः–15.03.2024

राजस्थान राज्य जरिये जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा यह प्रकरण प्रस्तुत किया गया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक 08.02.2024 को थानाधिकारी, पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन की सूचना द्वारा शेरगढ़ पुलिस चौकी के पास पैट्रोलियम पदार्थों से भरे ड्रम रखी ट्रेक्टर ट्रॉली को डिटेन किया गया है, के संबंध में आगामी विभागीय कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ समय लगभग 7.00 बजे सांय पुलिस चौकी शेरगढ़ पहुंचे। मौके पर कृष्ण सिंह कॉनिस्टेबल पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन उपस्थित मिले जिन्होने स्वयं की उपस्थिति में पुलिस चौकी में डिटेन की गई ट्रैक्टर ट्रॉली का निरीक्षण करवाया। वक्त मौका ट्रैक्टर ड्राईवर ने स्वयं को सतीश कुमार पुत्र बनवारी लाल शर्मा, निवासी वार्ड नं 03, किशनपुरा, दिखनादा तहसील हनुमानगढ़ होना बताया एवं निरीक्षण के दौरान उपस्थित रहे। मौताबिक ड्राईवर सतीश कुमार उक्त ट्रैक्टर रजिस्ट्रेशन नं. RJ–31–8883 एवं ट्रॉली उसके स्वयं का है एवं जाहिर किया कि ट्रॉली में रखे 13 प्लास्टिक ड्रम एवं 8 प्लास्टिक केनियों में डीजल भरा है, जो उसके द्वारा कन्दूखेड़ा (पंजाब) से खरीदा है एवं किशनपुरा, दिखनादा स्थित घर लेकर जा रहा था तभी शेरगढ़ टोल प्लाजा के पास पुलिस द्वारा रूकवाकर ट्रैक्टर ट्रॉली सहित शेरगढ़ पुलिस चौकी लाया गया । मौके पर उपस्थित कृष्ण सिंह कॉनिस्टेबल पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन एवं ड्राईवर सतीश कुमार तथा गवाहो के समक्ष ट्रैक्टर ट्रॉली की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान 13 प्लास्टिक ड्रम एवं 8 प्लास्टिक केनियों में पैट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया, जो प्रथम दृष्टया डीजल होना प्रतीत हुआ। माप किये जाने पर 13 प्लास्टिक ड्रम एवं 8 प्लास्टिक केनियों में कुल 1980 लीटर डीजल भरा होना पाया गया। मौके पर ड्राईवर / मालिक सतीश कुमार डीजल क्रय करने के बिल आदि प्रस्तुत नहीं किये गये एवं क्रय किये गये डीजल के उपयोग संबंधी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया।

पूछताछ में श्री सतीश कुमार द्वारा यह जाहिर किया गया कि गांव किशनपुरा, दिखनादा में उसके स्वयं के नोहरे में भी डीजल रखा हुआ है। अतः जांच हेतु मय पुलिस जाब्ता उक्त नोहरे की तलाशी ली गई तलाशी के दौरान श्री बनवारीलाल पुत्र भागीरथ शर्मा निवासी किशनपुरा, दिखनादा तहसील हनुमानगढ़ उपस्थित मिले। तलाशी के दौरान नोहरे में कुल 13 प्लास्टिक ड्रम, 1 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, 2 लोहे के माप तथा 3 लोहे की कीप पाई गई। माप किये जाने पर उक्त 13 प्लास्टिक ड्रमों में ... पेट्रोलियम पदार्थ भरा होना पाया गया, जो प्रथम दृष्टया डीजल होना प्रतीत हुआ। मौके पर ही एक महिन्द्रा पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31GA-9461 खड़ी ... टंकी बनाकर नोजल मशीन लगी हुई पाई गई। ... उक्त वाहन का उपयोग वाहनों में डीजल भरने के काम में लिया जाता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:12:58 IST
Reason: SelfAttested

मौके पर ही पिकअप में भरे डीजल का माप किया गया, जिसमें 250 लीटर डीजल होना पाया गया। मौके पर उपस्थित श्री बनवारीलाल पुत्र भागीरथ शर्मा द्वारा जाहिर किया गया कि नोहरे में पाया गया समस्त डीजल, पिकअप एवं अन्य सामान उसके पुत्र सतीश कुमार का है, जिसके द्वारा डीजल बिक्री का काम किया जाता हैं। इस प्रकार जांच में श्री सतीश कुमार पुत्र बनवारीलाल शर्मा के कब्जे में 1980+2860+250 कुल 5090 लीटर डीजल होना पाया गया। मौके पर श्री सतीश कुमार के पिता श्री बनवारीलाल शर्मा के बयानों एवं

अपर जिला मजिस्ट्रेट

(१)

अपर जिला कलक्टर (राज.)

नोहरे में पाये गये सामान 1 इलेक्ट्रिक मोटर मय पाईप, 2 लोहे के माप तथा 3 लोहे की कीप से स्पष्ट होता है कि श्री सतीश कुमार द्वारा डीजल बिक्री का अवैद्य कारोबार किया जाता है। चूंकि मौके पर पेट्रोलियम पदार्थो के व्यापार करने के संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया। मौके पर पेट्रोलियम पदार्थो की जांच हेतु ट्रैक्टर ट्रॉली, नोहरे एवं पिकअप में भरे पेट्रोलियम पदार्थों के तीन तीन नमूना सैम्पल लिये गये, जिन पर क्रमशः A, B, C, D, E, F, G, H, I अंकित किया गया। नमूना सैम्पल A, D, G को विश्लेषण हेतु लेबोरेट्री भेजा जाना है। नमूना सैम्पल B, E, H संबंधित व्यक्ति सतीश कुमार को सुपुर्द किये गये एवं नमूना सैम्पल C, F, I कार्यालय में सुरक्षित रखे गये हैं। बिना सक्षम स्वीकृति डीजल का अवैद्य कारोबार करना मोटर स्प्रिट एण्ड हाई स्पीड डीजल (रेगुलेशन ऑफ सप्लाई, डिस्ट्रीब्यूशन एण्ड प्रीवेंशन ऑफ माल प्रेक्टिसेज) आर्डर 2005 के क्लॉज 4 का स्पष्ट उल्लघंन है, जो कि आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। अतः मौके पर पाया गया समस्त डीजल कुल 5090 लीटर मय 26 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक कैनी, ट्रैक्टर ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31-8883 तथा पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31-GA-9461 को आवश्यक अधिनियम के तहत जब्त किया गया। जब्ताशुदा समस्त सामान कुल 5090 लीटर डीजल मय 26 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक कैनी, एक इलैक्ट्रिक मोटर मय पाईप, दो लोहे के माप, तीन लोहे की कीप, एक ट्रैक्टर ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31-8883 तथा एक पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31GA- 9461 को श्री सुरेन्द्र कुमार पुत्र भादरराम निवासी 14 केएसपी ढाणी ग्राम पंचायत भुनावाली ढाणी हाल उचित मूल्य दुकानदार ग्राम पंचायत मुण्डा को सुपुर्द किया गया। अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6ए आवश्यक अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि उक्त जब्ताशुदा समस्त सामान कुल 5090 लीटर डीजल मय 26 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक कैनी, एक इलैक्ट्रिक मोटर मय पाईप, दो लोहे के माप, तीन लोहे की कीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31-8883 तथा एक पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31GA-9461 को राजसात करने के आदेश फरमावें।

प्रकरण प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को धारा 6बी आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत नोटिस जारी किया गया।

अप्रार्थी जरिये अभिभाषक उपस्थित आये और दिनांक 19.02.2024 को जवाब शामिल पत्रावली किया गया।

1.**सतीश कुमार** दिनांक 08.02.2024 को थानाधिकारी पुलिस थाना हनुमानगढ़ टाउन की इस आशय की सूचना कि पुलिस द्वारा शेरगढ पुलिस चौकी के पास पैट्रोलियम पदार्थो से भरे ड्रम रखी ट्रैक्टर ट्राली को डिटेन किया गया है, इस संबंध में आगामी विभाग कार्यवाही हेतु जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ मय कार्यालय स्टाफ समय लगभग 7.00 बजे सांय पुलिस चौकी शेरगढ पंहुचे, का कथन स्वीकार है। उक्त कार्यवाही करने का अधिकार पुलिस के पास जिला पुलिस उप अधीक्षक की रैंक के अधिकारी को नहीं है। इस रैंक से नीचे की श्रेणी के पुलिस अधिकारी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तलाशी लेने अथवा रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है। पुलिस द्वारा बिना अधिकारिता के प्रार्थी के ट्रैक्टर ट्राली को टोल नाका कोहला पर रोका गया व वहां से शेरगढ़ चौकी बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ले जाया गया। प्रार्थी के ट्रैक्टर ट्राली को पुलिस के कान्स्टेबल रैंक के कर्मचारी द्वारा बिना अधिकारिता के रंजिशवश रोका गया। जहां पर अप्रार्थी स्वयं उपस्थित था एवं अप्रार्थी ने पुलिस कान्स्टेबल व जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ को ट्राली में रखे गये 13 प्लास्टीक ड्रमों एंव आठ प्लास्टीक कॅनियों में 1980 लीटर डीजल होना बता दिया था, जिसका माप मौका पर जिला रसद अधिकारी ने किया व अप्रार्थी ने खरीद के बिल भी पुलिस कान्स्टेबल व रसद विभाग की टीम को सौंप दिया था, कि 2000 लीटर डीजल प्रार्थी द्वारा खरीद कर लाया गया है। जिसमें अप्रार्थी ने 1980 लीटर डीजल ड्रमों व कैनियों में डलवाया व 20 लीटर डीजल ट्रैक्टर की टंकी में डलवाया है। भारत सरकार पेट्रोलियम मंत्रालय की अधिसूचना / आदेश दिनांक 15.11.2000 में एक समय 2500 लीटर डीजल एक व्यक्ति खरीद सकता है, जबकि अप्रार्थी के पास केवलमात्र 1980 लीटर डीजल ही था, जिला रसद अधिकारी ने अप्रार्थी की बातों पर बिना कोई गौर किये विधि विरुद्ध जब्त किया है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित एसबी क्रिमिनियल मिसलेनियस पीटीशन नं. 4279 / 2018 में पारित आदेश दिनांक 03.01.2019 में भी स्पष्ट अंकन है कि बिना अधिकृत अधिकारी के आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की जा सकती व माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय एसबी क्रिमिनल रीविजन 869 / 2016 व दिनांक 24.10.2017 में भी 2500 लीटर से कम जब्ती को गलत माना है। पुलिस द्वारा अप्रार्थी को टोल प्लाजा पर रोका गया व बिना

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:12:58 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

सक्षम अधिकारी की उपस्थिति एवं बिना सक्षम अधिकारी द्वारा मौका पर कोई कार्यवाही किये बिना अप्रार्थी को रोके गये स्थान से अप्रार्थी के ट्रैक्टर ट्राली आरजे31–आरसी–8883 को मौका से 10 किलोमीटर दूर ले जाकर कार्यवाही की गई, जिसमें अप्रार्थी के ट्रैक्टर ट्राली का नम्बर आरजे – 31–8883 दर्ज किया गया है, जो सही नहीं है। आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत जहां पर अवैध पैट्रोलियम पदार्थ पकड़ा गया है, उसी स्थान पर कार्यवाही करने का सक्षम अधिकारियों को ही अधिकारिता प्राप्त है। अप्रार्थी जब शेरगढ चौकी पंहुचा तो अप्रार्थी की ट्रैक्टर ट्राली मय ड्रम व कैनी उसमें लदे हुए थे, करीब दो घण्टे बाद जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ने मौका पर पंहुच कर ट्रैक्टर ट्राली में रखे ड्रमों व केनियों की जांच की व डीजल का माप किया। अप्रार्थी ने उसी समय जिला रसद अधिकारी को डीजल के बिल की प्रति सौंप दी थी व अवगत करवा दिया था कि अप्रार्थी अबोहर पंजाब अपना नरमा बेचने गया था। वहा से आते समय अप्रार्थी अपने कृषि कार्य हेतु डीजल खरीद कर लाया है व इतनी मात्रा में डीजल ले जाना कोई अपराध नही है। पूछताछ में सतीश कुमार द्वारा यह जाहिर किया गया कि गांव किशनपुरा दिखनादा में उसके स्वयं के नोहरे में भी डीजल रखा हुआ है। अतः जांच हेतु मय पुलिस जाब्ता उक्त नोहरे की तलाशी ली गई, कतई मिथ्या अंकित होने से अस्वीकार है। पुलिस कर्मचारियों एवं जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को इस तरह की कार्यवाही में किसी भी व्यक्ति से पूछताछ करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, केवल मात्र धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुकदमा में सक्षम मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट से पूछताछ की स्वीकृति प्राप्त कर ही पूछताछ कर सकते है। जिला रसद अधिकारी का उक्त कथन ही विधि के विपरित है व स्वयं ने ही अपने कथनों में यह अंकित किया है कि तलाशी के दौरान बनवारीलाल पुत्र भागीरथ शर्मा मौका पर उपस्थित मिले, जिससे यह साबित होता है कि नोहरे में मिला डीजल बनवारीलाल पुत्र भागीरथ शर्मा का है। जिसे अप्रार्थी के डीजल में मिलाकर जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ ने पुलिस के साथ मिलकर 2500 लीटर से अधिक डीजल की जब्ती दिखाने का असफल प्रयास किया है। इस तलाशी के दौरान अप्रार्थी को मौका पर नहीं बुलाया गया। जब्तशुदा वाहन आरजे 31 –जीए– 9161 अप्रार्थी सतीश का नहीं है। उसे भी अप्रार्थी सतीश का वाहन बताकर बिना वाहन के दस्तावेज एवं मौका कार्यवाही में अप्रार्थी सतीश की उपस्थिति के बिना उक्त वाहन व उसमें भरे डीजल को भी अप्रार्थी के डीजल के साथ सम्मिलित कर केवल मात्र मात्रा में वृद्धि करने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही में अप्रार्थी सतीश का नाम अंकित किया गया है, जो स्पष्टतः किसी व्यक्ति के मौखिक कथनों विश्वास कर कार्यवाही नहीं की जा सकती। अप्रार्थी को टोल प्लाजा पर रोककर एवं वहां से अप्रार्थी के ट्रैक्टर ट्रॉली को शेरगढ चौकी ले जाकर कार्यवाही की गई है व वहां से अन्य व्यक्तियों के वाहन व डीजल को अप्रार्थी के डीजल के साथ जोड़कर मामला को केवल मात्र मजबूती देने के उद्देश्य से उक्त अवैध कार्यवाही की है। अप्रार्थी सतीश कुमार के कब्जा से केवलमात्र 1980 लीटर डीजल मय 13 प्लास्टिक ड्रम व 8 प्लास्टिक केनियां एवं ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है। उक्त कार्यवाही के अतिरिक्त कोई भी जब्ती की गई है उससे अप्रार्थी सतीश कुमार का कोई लेना–देना नहीं है ना ही अप्रार्थी सतीश कुमार मौका पर मौजूद था। अप्रार्थी के विरूद्ध कोई 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई है। क्योंकि अप्रार्थी ने धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का उल्लघंन नहीं किया है। अप्रार्थी से उसकी कृषि कार्य के उपयोग में लिये जाने वाले 1980 लीटर डीजल मय 13 प्लास्टिक ड्रम व 8 प्लास्टिक केनियां एवं ट्रैक्टर ट्रॉली जब्त की गई है, जो किसी अपराध की श्रेणी में नहीं आती है। पैट्रोलियम मंत्रालय के आदेश में यह स्पष्ट अंकित है कि एक व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर तक का पैट्रोलियम प्रदार्थ खरीद सकता है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही अपास्त फरमाई जाकर अप्रार्थी का जब्तशुदा वाहन ट्रैक्टर ट्रॉली नं. आरजे 31 – आरसी – 8883 व 13 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक केनियां मय 1980 लीटर डीजल अप्रार्थी को दिलवाया जावे।

2. अप्रार्थी बनवारीलाल पुत्र भागीरथ शर्मा निवासी किशनपुरा द्वारा जवाब पेश किया गया कि पूछताछ में सतीश कुमार द्वारा यह जाहिर किया गया कि गांव किशनपुरा दिखनादा में उसके स्वयं के नोहरे में डीजल रखा हुआ है, कतई मिथ्या एवं निराधार अंकित होने से अस्वीकार है। गांव किशनपुरा दिखनादा में सतीश कुमार का कोई नोहरा नहीं है। उक्त कार्यवाही पुलिस एवं जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा अप्रार्थी के आवासीय भूखण्ड पर की गई थी, जिसमें 13 प्लास्टिक ड्रमों में प्रार्थी के कृषि कार्य हेतु लाया गया 2300 लीटर डीजल रखा था, जिसकी मौका पर माप किये बिना ही केवलमात्र ड्रमों को देखकर ही उनमें

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:12:58 IST
Reason: SelfAttested

2860 लीटर डीजल बताते हुए जब्ती की कार्यवाही की गई है। अप्रार्थी के आवासीय भूखण्ड से 13 ड्रमों में 2860 लीटर डीजल न होकर 2300 लीटर डीजल की जब्ती की गई है, जिसे प्रार्थी अपनी कृषि भूमि में कराहा लगाने हेतु कृषि कार्य में काम लेने हेतु लेकर आया था। 2300 लीटर डीजल रखना कोई अपराध नहीं है, परन्तु जिला रसद अधिकारी ने अन्य व्यक्तियों से जब्त डीजल को प्रार्थी के डीजल में रंजिश वश शामिल करते हुए मामले को मजबूती देने के उद्देश्य से उक्त कार्यवाही की है। जिला रसद अधिकारी ने अप्रार्थी के जब्त 2300 लीटर डीजल को सतीश कुमार के डीजल के साथ शामिल कर अवैध कार्यवाही की है, क्योंकि अप्रार्थी मौका पर ही अपनी कृषि भूमि एवं खरीद के बिल आदि कार्यवाही के दौरान ही जिला रसद अधिकारी को सौंप दिये थे, तब उन्होनें मामला माननीय न्यायालय में उनके खिलाफ न हो जाये को देखते हुए अप्रार्थी से जब्ती न दिखाकर मौका पर मौजूद न होते हुए भी अप्रार्थी के डीजल को सतीश कुमार का डीजल बताकर कार्यवाही की है। जिससे अप्रार्थी को भारी परेशानी हुई है। इसलिये अप्रार्थी अपना पक्ष रखने हेतु उक्त प्रकरण में उपस्थित हुआ है। उक्त मद में बताया गया 2860 लीटर डीजल 2300 लीटर ही है, जो सतीश कुमार का न होकर अप्रार्थी बनवारीलाल का है, जिसके समस्त दस्तावेज मौका पर ही अप्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी को सौंप दिये थे, परन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी का नाम हटाकर केवल मात्र जब्ती 5090 लीटर डीजल सतीश कुमार से जब्त करना बताया है, जबकि सतीश कुमार से अप्रार्थी के भूखण्ड से अप्रार्थी के विरुद्ध ही कार्यवाही की गई थी. मगर कागजी कार्यवाही में अप्रार्थी का नाम हटा दिया गया । उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण काबिले खारिजी अप्रार्थी के आवासीय भूखण्ड से जब्त किये गये 13 प्लास्टिक ड्रम व अन्य सामान अप्रार्थी का है। अप्रार्थी अपनी कृषि कार्य में उपयोग हेतु 2300 लीटर डीजल खरीदकर लाया था किसी अवैध कारोबार में उपयोग नहीं किया जा रहा था। उक्त कार्यवाही में जब्त किये गये पैट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में कोई भी 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण दर्ज नही है व न ही प्रार्थी के विरुद्ध 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित होता है। केवलमात्र अपनी जब्ती की अलग-अलग कार्यवाहीयों में निर्धारित मात्रा से कम पैट्रोलियम पदार्थ होने के कारण तीनों जब्ती को एकसाथ इक्ट्ठा कर मिथ्या तथ्यों पर उक्त प्रार्थना-पत्र प्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो काबिले खारिजी के है । अतः जवाब प्रार्थना-पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थी बनवारीलाल को प्रकरण में पक्षकार बनाकर अप्रार्थी के आवासीय भूखण्ड से जब्तशुदा 2300 लीटर डीजल के 13 प्लास्टिक ड्रम, एक मोटर माप व कीप आदि सामान अप्रार्थी बनवारीलाल पुत्र भागीरथ निवासी किशनपुरा दिखनादा को लौटाये जाने के आदेश फरमाये

3. **अप्रार्थी जुगलकिशोर** पुत्र बनवारीलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा ने अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुए कथन किये कि मौका पर महेन्द्रा पिकअप नम्बर पिकअप आरजे 31-जीए-9461 खडी पाई गई, गलत अंकित होने से अस्वीकार है। अप्रार्थी अपना वाहन लेकर अपने खेत जा रहा था। गांव में गली आम में रोककर अप्रार्थी को वाहन में बिठाया गया व गांव के बीच लाकर वाहन अथवा उसमें लदे डीजल को जब्त किया गया व कार्यवाही में अप्रार्थी का नाम न डालकर संदीप कुमार के नाम से जब्ती दिखाई गई, जबकि उस समय संदीप कुमार जिला रसद अधिकारी के स्वयं के कथनों से शेरगढ़ चौकी में उपस्थित था, तब किशनुपरा दिखनादा गावं जो शेरगढ चौकी से 5 किलोमीटर दूर है, कैसे उससे जब्ती हो गई, केवलमात्र मामला में जब्तशुदा डीजल की मात्रा निर्धारित 2500 लीटर से अधिक दिखाने की जुगत में अप्रार्थी के वाहन को व उसमें लदे डीजल को जब्त कर नाजायज रूप से अप्रार्थी को परेशानी में डाला है। इसलिये अप्रार्थी को उक्त प्रकरण में पक्षकार बनाकर उसे सुनवाई का अवसर दिया जाना आवश्यक है। [illegible] प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में बताया गया 250 लीटर डीजल अप्रार्थी का है, व अप्रार्थी [illegible] गांव किशनपुरा दिखनादा में जब्त किया गया था, जो सतीश कुमार का [illegible] बनवारीलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा का है, जिसके समस्त दस्तावेज [illegible] पर ही अप्रार्थी ने जिला रसद अधिकारी को सौंप दिये थे, परन्तु उक्त प्रकरण में अप्रार्थी [illegible] नाम हटाकर केवल मात्र जब्ती 5090 लीटर डीजल सतीश कुमार से जब्त करना बताया है। कागजी कार्यवाही में अप्रार्थी जुगलकिशोर का नाम हटा दिया गया। उक्त कार्यवाही विधि विरुद्ध होने के कारण काबिले खारिजी है। उक्त कार्यवाही में जब्त किये गये पैट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में कोई भी 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण दर्ज नही है व न ही प्रार्थी के विरुद्ध 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम का अपराध प्रमाणित होता है । केवलमात्र अपनी जब्ती की अलग-अलग

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:12:58 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट

कार्यवाहीयों में निर्धारित मात्रा से कम पैट्रोलियम पदार्थ होने के कारण तीनों जब्ती को एकसाथ इक्ट्ठा कर मिथ्या तथ्यों पर उक्त प्रार्थना–पत्र अप्रार्थी को बिना पक्षकार बनाये इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है, जो काबिले खारिजी के है। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अप्रार्थी जुगलकिशोर पुत्र बनवारीलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा को प्रकरण में पक्षकार बनाकर अप्रार्थी जुगलकिशोर के जब्ताशुदा वाहन पिकअप नम्बर आरजे 31–जीए–9461 मय 250 लीटर डीजल अप्रार्थी को लौटाये जाने के आदेश फरमाये जावे।

राजकीय अभिभाषक की बहस सुनी गयी। राजकीय अभिभाषक ने अपनी बहस में कथन किया है कि जांच के समय जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ द्वारा जब्तशुदा 5090 लीटर डीजल मय 26 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक कैनी, एक इलैक्ट्रिक मोटर मय पाईप, दो लोहे के माप, तीन लोहे की कीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31-8883 तथा एक पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31GA-9461 जब्त किये गये हैं। अप्रार्थी द्वारा जब्ती के समय कोई वैद्य दस्तावेज जिला रसद अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत नहीं किये। अप्रार्थी द्वारा बिना लाईसेन्स व परमिट के अवैध डीजल रखना व परिवहन करना राजस्थान आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत दण्डनीय अपराध है। इसलिए जब्ताशुदा सामान राजसात किया जावे।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। रिकॉर्ड के अनुसार अप्रार्थी से कुल 5090 लीटर डीजल मय 26 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक कैनी, एक इलैक्ट्रिक मोटर मय पाईप, दो लोहे के माप, तीन लोहे की कीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31-8883 तथा एक पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31GA-9461 को जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ द्वारा जब्त किया गया है।

1. वर्तमान प्रकरण पेट्रोलियम पदार्थ के अवैध परिवहन एवं संग्रहण से सम्बन्धित है। पेट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण आदेश 1990 तथा केन्द्र सरकार द्वारा आदेश 1999 व 2005 जारी किये गये है। पेट्रोलियम पदार्थो के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार द्वारा जारी आदेश अधिभावी होगें। ऐसी दशा में जहां कि केन्द्र सरकार के आदेश 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर तक किसी व्यक्ति को एक ही समय में पेट्रोलियम पदार्थ बिक्री किया जा सकता है, जिसका तात्पर्य यही है कि कोई भी व्यक्ति एक समय में 2500 लीटर पेट्रोलियम पदार्थ अपने कब्जे में रख अथवा खरीद सकता है। जहां पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में केन्द्र सरकार के किसी आदेश का उल्लंघन प्रतीत नहीं होता है। वहां ऐसे पेट्रोलियम पदार्थ के सम्बन्ध में धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं होगें ।

2. वर्तमान प्रकरण में उक्त जब्ताशुदा समस्त सामान कुल 5090 लीटर डीजल मय 26 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक कैनी, एक इलैक्ट्रिक मोटर मय पाईप, दो लोहे के माप, तीन लोहे की कीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31-8883 तथा एक पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31GA-9461 को एक साथ कार्यवाही बतायी गयी परन्तु प्रकरण में तीनों घटनायें अलग–अलग जगह, अलग–अलग समय हुई है।

3. जिला पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे की श्रेणी के पुलिस अधिकारी को आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत तलाशी लेने अथवा रोकने का अधिकार प्राप्त नहीं है। पुलिस द्वारा बिना अधिकारिता के प्रार्थी के ट्रैक्टर ट्राली को टोल नाका कोहला पर रोका गया व वहां से शेरगढ चौकी बिना सक्षम अधिकारी के आदेश के ले जाया गया।

4. अप्रार्थी के विरूद्ध कोई 3 / 7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत कार्यवाही नहीं की गई है और आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6 ए का प्रकरण बनाया गया जो वैधानिक नहीं है। गौर तलब है कि सक्षम पुलिस अधिकारी [illegible] रसद अधिकारी मौके पर थे।

5. अप्रार्थी सतीश के अलावा [illegible] किस आदेश, नियम के तहत कार्यवाही की गयी? यह भी स्प[illegible] की माप किस आधार पर की गई और ना ही श्री सतीश कुमार के पेशे के बारे में कोई दस्तावेज संलग्न पत्रावली किये गये, जिससे सह साबित हो कि डीजल गैर कृषि कार्य का ब्लैक / अवैध में बेचान के लिये था। स्टेट द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में कहीं नहीं बताया गया है, इसलिए कार्यवाही वैधानिक नहीं है।

उक्त विवेचना के आधार पर केन्द्र सरकार की अधिसूचना 1999 की धारा 2 एफ के तहत 2500 लीटर पैट्रोलियम उत्पाद कोई भी व्यक्ति रख सकता है। अप्रार्थी सतीश

Signature Not Verified
Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:12:58 IST
Reason: SelfAttested

अपर जिला मजिस्ट्रेट

कुमार को 1980 लीटर डीजल रखने का अधिकार था । अप्रार्थी को 1980 लीटर डीजल रखने के लिये किसी लाईसेन्स / परमिट की आवश्यकता नहीं थी । उक्त पैट्रोलियम पदार्थ अप्रार्थी के द्वारा किसी को विक्रय किया जा रहा हो अथवा अन्य किसी प्रकार का कोई अपराध किया जा रहा हो ऐसा रिकॉर्ड से प्रकट नहीं होता है। दस्तावेज/साक्ष्य के अभाव में स्टेट द्वारा प्रस्तुत 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं है।

अन्य अप्रार्थी बनवारीलाल पुत्र भागीरथ निवासी किशनपुरा दिखनादा एवं अप्रार्थी जुगलकिशोर पुत्र बनवारीलाल निवासी किशनपुरा दिखनादा के आवासीय भूखण्ड से जब्ती की कार्यवाही वैधानिक नहीं होने व स्पष्ट नाप–तोल नहीं मिलने के कारण स्टेट द्वारा प्रस्तुत 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रार्थना खारिज किया जाना उचित समझते है।

अतः जिला रसद अधिकारी हनुमानगढ़ द्वारा जब्तशुदा उक्त जब्तशुदा समस्त सामान कुल 4530 (1980+2300+250) लीटर डीजल मय 26 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक कैनी, एक इलैक्ट्रिक मोटर मय पाईप, दो लोहे के माप, तीन लोहे की कीप एक ट्रैक्टर ट्रॉली रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31-8883 तथा एक पिकअप रजिस्ट्रेशन नं. RJ-31GA-9461 जब्ती से बागुजार (मुक्त) किया जाता है व आदेश दिये जाते है कि जब्तशुदा वाहन के इंजन नम्बर व चौसीस नम्बर का पंजीयन कॉपी (आरसी) से मिलान सही पाये जाने पर नियमानुसार वाहन मालिक को सौंप दिया जाये तथा जब्तशुदा 4530 (1980+2300+250) लीटर डीजल मय 26 प्लास्टिक ड्रम, 8 प्लास्टिक कैनी, एक इलैक्ट्रिक मोटर मय पाईप, दो लोहे के माप, तीन लोहे की कीप अप्रार्थीयान को सौंप दिये जाये । निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी, हनुमानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित की जावे ।

20/3/2024

(उमेदी लाल मीना)
अपर जिला कलक्टर एवं
अपर जिला मजिस्ट्रेट, हनुमानगढ

अपर जिला मजिस्ट्रेट
हनुमानगढ़

अपर जिला कलक्टर हनुमानगढ़ (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Umedi Lal Meena
Date: 2024.05.09 10:12:58 IST
Reason: SelfAttested